

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

Annexure V

ग्राम सभा कांगल

विकास खण्ड नारकण्डा

जिला शिमला

हि 0 प्र 0

गणपूर्ती 122/848
प्रस्ताव संख्या 09

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 04/01/2015

विषय: विभाजनपुरेडा लोक निर्माण विभाग/संस्था को सारकी सड़क के शल से दखती रिहाई दासवीधार
के निर्माण हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 01-37-67 हैक्टियर
वन भूमी के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा कांगल की बैठक आज दिनांक 04/01/2015 को 11 बजे शक
बजे स्थान कार्यालय ग्राम पंचायत कांगल में की गई। जिसमें विभाजनपुरेडा लोक निर्माण
विभाग/संस्था को सारकी सड़क के शल से दखती रिहाई दासवीधार, के.डी.ओ. 00 से 05/930
के निर्माण हेतु सारकी सड़क के शल से दखती रिहाई दासवीधार, के.डी.ओ. 00 से 05/930
हैक्टियर वन भूमी के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासीयों ने संबन्धित वन भूमी के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व
सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमी दिये जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त

अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे संबन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित
01-37-67 हैक्टियर वन भूमी को सारकी सड़क के शल से दखती रिहाई दासवीधार
के.डी.ओ. 00 से 05/930 निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा कांगल की सहमति दी जाती है।

स्थान कांगल
दिनांक 04/01/2015

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता
ग्राम सभा कांगल



Secretary
Gram Panchayat Narkanda
Dev. Block Narkanda

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

Annexure I

वन अधिकार समिति

ग्राम- भूणा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या- 1

दिनांक 20/10/2014

वन अधिकार समिति ग्राम भूणा की बैठक आज दिनांक 20/10/2014 को समय 11 बजे प्रातः स्थान भूणा में श्री/श्रीमति राजस्व अध्यक्ष वन अधिकार समिति राजस्व गांव भूणा की अध्यक्षता में की गई। जिसमें भूणा गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत राजस्व गाँव भूणा जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें वि० प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा समूहिक सड़क के माध्यम से वृधनी कोट रिहाई टास्की धातक विभा. क्र०/०५/३० निर्माण के लिए 33-97 हेक्टेयर वन भूमी के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा निम्न अनुसार सही पाया गया।

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकारों का ब्यौर
1.	<u>वि० प्र० लोक निर्माण मण्डल कुमारसेन</u>	<u>राजस्व गाँव भूणा का वन क्षेत्र स्थान राजस्व दस्तावेज अनुसार</u>	<u>समूहिक सड़क के माध्यम से वृधनी कोट रिहाई टास्की धातक विभा. क्र०/०५/३०</u>

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस/इन दावे को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
	<u>शून्य</u>

तदनुसार वन अधिकार समिति द्वारा इस/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश की जाती है या जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा नहीं हुआ।

स्थान भूणा
दिनांक -----

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भूणा
वन अधिकार समिति -----

सचिव K
वन अधिकार समिति
राजस्व गाँव भूणा

प्रधान मानव
वन अधिकार समिति
राजस्व गाँव भूणा

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

Annexure II

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा राजस्व गांव भूणा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या -----

दिनांक 20/10/2014

वन अधिकार समिति ग्राम सभा भूणा की बैठक आज दिनांक 20/10/2014 को समय 12 बजे बजे प्रादः स्थान गांव भूणा में श्री/श्रीमति वैजसय अध्यक्ष वन अधिकार समिति राजस्व की अध्यक्षता में की गई। जिसमें भूणा गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत राजस्व गांव भूणा जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें हि.प्र. लोकनिर्माण विभाग द्वारा सम्यक सशु कैंपल एरिया से छुधवी कोट रिहाडी दामकीधारा तक निर्माण के लिए 0-33-3 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासीयों के वन अधिकारों के आवेदन पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा निम्न अनुसार सही पाया गया।

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकारों का ब्यौरा
1.	<u>हि.प्र. लोकनिर्माण मण्डल कुमारसैन</u>	<u>राजस्व गांव भूणा का वनक्षेत्र राजस्व दक्षिणेंज अनुसार</u>	<u>प्रस्तावित सम्यक सशु कैंपल एरिया से छुधवी कोट रिहाडी दामकीधारा तक क्र. 0-33-3</u>

तदनुसार यह ग्राम सभा इस/इन दावे/दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या पात्र गांव वासी का नाम

शून्य

तदनुसार ग्राम सभा द्वारा इस/इन दावे/दावों को निरस्त करने की सिफारिश की जाती है

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा नहीं हुआ।

स्थान भूणा
दिनांक -----

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भूणा
वन अधिकार समिति

प्रधान के.के.
वन अधिकार समिति
राजस्व गांव भूणा

सचिव आनंद लाल
वन अधिकार समिति
राजस्व गांव भूणा

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

Annexure II

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा राजस्व गांव कोर

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 28-12-2014

वन अधिकार समिति ग्राम सभा कोर की बैठक आज दिनांक 28-12-2014 को समय 12:00 बजे प्रातः स्थान गांव कोर में श्री/श्रीमति सुभद्रा कुमारी अध्यक्ष वन अधिकार समिति राजस्व कोर की अध्यक्षता में की गई। जिसमें कोर गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत राजस्व गांव कोर जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें वि. प्र. लोक विभाग द्वारा समर्पित सड़क के अन्तर्गत सुधवी कोर रिहाई दावा के लिए निर्माण के लिए आवेदन पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा निम्न अनुसार सही पाया गया।

क्रम संख्या पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकारों का ब्यौरा

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकारों का ब्यौरा
1.	वि. प्र. लोक विभाग कुभारखैन	राजस्व गांव कोर वन क्षेत्र राजस्व दावावेक अनुसार	प्रस्तावित समर्पित सड़क के अन्तर्गत सुधवी कोर रिहाई दावा के लिए वि. प्र. लोक विभाग द्वारा 08/00 5/830

तदनुसार यह ग्राम सभा इस/इन दावे/दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या पात्र गांव वासी का नाम

1. अन्य

तदनुसार ग्राम सभा द्वारा इस/इन दावे/दावों को निरस्त करने की सिफारिश की जाती है

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा नहीं हुआ।

स्थान कोर

दिनांक 28-12-2014

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

वन अधिकार समिति कोर

सचिव
वन अधिकार समिति
राजस्व गांव कोर

प्रधान
वन अधिकार समिति
राजस्व गांव कोर

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

Annexure I

वन अधिकार समिति

ग्राम-कोट

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या-1

दिनांक 28-12-2014

वन अधिकार समिति ग्राम कोट की बैठक आज दिनांक 28-12-2014 को समय 10:00 बजे प्रातः स्थान कोट में श्री/श्रीमति सुमन अग्नि अध्यक्ष वन अधिकार समिति राजस्व गांव कोट की अध्यक्षता में की गई। जिसमें कोट गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत राजस्व गांव कोट जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें हि० प्र० लोक मिमिषि विभाग द्वारा सम्पत्क सजुक का सवाई से दुधानी कोट निर्माण के लिए 0-51-08 हेक्टेयर वन भूमी के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा निम्न अनुसार सही पाया गया।

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकारों का ब्यौरा
1.	<u>हि० प्र० लोक मिमिषि</u> <u>मण्डल कुमार सैन</u>	<u>राजस्व गांव कोट</u> <u>का वन क्षेत्र</u> <u>सलमन राजस्व दस्तावेज</u> <u>अनुसार</u>	<u>प्रस्तावित सम्पत्क सजुक</u> <u>कैथल बाथ से दुधानी कोट</u> <u>परिष्परी राजस्व धारतक 08/00</u> <u>5/930</u>

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस/इन दावे को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
1.	<u>कुन्ध</u>

तदनुसार वन अधिकार समिति द्वारा इस/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश की जाती है
या
जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा नहीं हुआ।

स्थान कोट
दिनांक 28-12-2014

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कोट
वन अधिकार समिति

अधिकृत Rashmi
वन अधिकार समिति
राजस्व गांव कोट
प्रधान Kamal
वन अधिकार समिति
राजस्व गांव कोट

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

Annexure I

वन अधिकार समिति
ग्राम- धुधवी
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या- 1

दिनांक 28-12-2014

वन अधिकार समिति ग्राम धुधवी की बैठक आज दिनांक 28-12-2014 को समय 10:00 बजे प्रातः स्थान गाँव धुधवी में श्रीमति निरखी राज अध्यक्ष वन अधिकार समिति राजस्व गाँव धुधवी की अध्यक्षता में की गई। जिसमें धुधवी गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत राजस्व गाँव धुधवी जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें हि० प्र० लोक भिमाठ विभाग द्वारा सम्यक रसक केंचल धारी से धुधवी कोट रिहाई डालवी भारतक 0/00 निर्माण के लिए 0-15-57 हेक्टेयर वन भूमी के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गाँववासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा निम्न अनुसार सही पाया गया।

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकारों का ब्यौर
1.	<u>हि० प्र० लोक भिमाठ</u> <u>मण्डल कुभारसैन</u>	<u>राजस्व गाँव</u> <u>धुधवी का वन</u> <u>फोन संलग्न राजस्व</u> <u>दास्तावेज अनुसार</u>	<u>प्रस्तावित सम्यक रसक</u> <u>केंचल धारी से धुधवी कोट</u> <u>रिहाई डालवी भारतक 0/00</u> <u>5/930</u>

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस/इन दावे को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या पात्र गाँव वासी का नाम

तदनुसार वन अधिकार समिति द्वारा इस/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश की जाती है

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा नहीं हुआ।

स्थान धुधवी
दिनांक 28-12-2014

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति धुधवी

सावध
सावध
वन अधिकार समिति
राजस्व गाँव धुधवी

Pranav
प्रधान
वन अधिकार समिति
राजस्व गाँव धुधवी

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

Annexure II

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा राजस्व गांव धुधवी
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 28-12-2014

वन अधिकार समिति ग्राम सभा धुधवी की बैठक आज दिनांक 28-12-2014 को समय 12:40 बजे प्रातः स्थान गांव धुधवी में श्री/श्रीमति सि. प्र. लोख अध्यक्ष वन अधिकार समिति राजस्व धुधवी की अध्यक्षता में की गई। जिसमें धुधवी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत राजस्व गांव धुधवी जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें हि. प्र. लोख मिभाण द्वारा सम्पन्न सुसक के वन वापस धुधवी क्षेत्र रिहाई दाखल/वातक निर्माण के लिए 0-15-57 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव/नसीयो के वन अधिकारों के आवेदन पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा निम्न अनुसार सही पाया गया।

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकारों का ब्यौरा
1.	<u>हि. प्र. लोख मिभाण</u> <u>मण्डल कुमारसैन</u>	<u>राजस्व गांव धुधवी</u> <u>वा वन क्षेत्र</u> <u>सम्पन्न दाखल/वातक</u> <u>अनुसार</u>	<u>प्रस्तावित सम्पन्न सुसक</u> <u>के. प्र. लोख धुधवी क्षेत्र</u> <u>रिहाई दाखल/वातक 00/00</u> <u>5/930</u>

तदनुसार यह ग्राम सभा इस/इन दावे/दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-
क्रम संख्या पात्र गांव वासी का नाम

1. शुन्य

तदनुसार ग्राम सभा द्वारा इस/इन दावे/दावों को निरस्त करने की सिफारिश की जाती है
या
जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा नहीं हुआ।

स्थान धुधवी
दिनांक 28-12-2014

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धुधवी
वन अधिकार समिति

सचिव
वन अधिकार समिति
राजस्व गांव धुधवी

प्रधान
वन अधिकार समिति
राजस्व गांव धुधवी

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

Annexure I

वन अधिकार समिति
ग्राम-डानू
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या-1

दिनांक 28-12-2014

वन अधिकार समिति ग्राम डानू की बैठक आज दिनांक 28-12-2014 को समय 10:00 बजे
बजे प्रातः स्थान गाँव डानू में श्री/श्रीमति उममनंद अध्यक्ष वन अधिकार समिति राजस्व गाँव डानू
की अध्यक्षता में की गई। जिसमें डानू गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत राजस्व गाँव डानू जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें हि० प्र० लोक भिम्बोण
विभाग द्वारा सम्पत्ति सहायक संचालक के माध्यम से निर्माण के लिए
0-3-85 हैक्टयर वन भूमी के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गाँववासीयों के वन
अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त
वन अधिकार समिति द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा निम्न अनुसार सही पाया गया।

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकारों का ब्यौरा
1.	<u>हि० प्र० लोक भिम्बोण</u> <u>मन्डल कुमारदेन</u>	<u>राजस्व गाँव</u> <u>डानू का</u> <u>जंगल सहायक</u> <u>राजस्व दस्तावेज अनुसार</u>	<u>पुस्तक सहायक</u> <u>संयुक्त चर्चा से सुधनी कोट</u> <u>रिहाई, दाखलवार तक 00/00</u> <u>5/930</u>

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस/इन दावे को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम
1.	<u>सुन्य</u>

तदनुसार वन अधिकार समिति द्वारा इस/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश की जाती है
या
जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा नहीं हुआ।

स्थान डानू
दिनांक 28-12-2014

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति डानू

सचिव
वन अधिकार समिति
राजस्व गाँव डानू

प्रधान
वन अधिकार समिति
राजस्व गाँव डानू

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

Annexure II

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा राजस्व गांव

प्रतिलिपि प्रस्ताव

डाबू

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 28-12-2014

वन अधिकार समिति ग्राम सभा डाबू की बैठक आज दिनांक 28-12-2014 को समय 12:00 बजे प्रातः स्थान गांव डाबू में श्री/श्रीमति उमानंद अध्यक्ष वन अधिकार समिति राजस्व डाबू की अध्यक्षता में की गई। जिसमें राजस्व गाँव गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत राजस्व गाँव डाबू जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें हि० प्र० लोक सिमिषि द्वारा सर्भक सड़क लैण्डलॉपी से घुषणी कोट रिहाई दास्वी धारक निर्माता निर्माण के लिए 0.37-05 हैक्टेयर वन भूमी के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासीयों के वन अधिकारों के आवेदन पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा निम्न अनुसार सही पाया गया।

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकारों का ब्यौरा
1.	<u>हि० प्र० लोक सिमिषि</u> <u>सर्भक कुमार खैन</u>	<u>राजस्व गाँव डाबू का</u> <u>वन क्षेत्र संलग्न राजस्व</u> <u>दस्तावेज अनुसार</u>	<u>प्रस्तावित सर्भक सड़क</u> <u>लैण्डलॉपी से घुषणी कोट</u> <u>रिहाई दास्वी धारक निर्माता</u> <u>0.37-05 से 5/930</u>

तदनुसार यह ग्राम सभा इस/इन दावे/दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-
क्रम संख्या पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार ग्राम सभा द्वारा इस/इन दावे/दावों को निरस्त करने की सिफारिश की जाती है
या
जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा नहीं हुआ।

स्थान डाबू
दिनांक 28-12-2014

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति

डाबू

प्रधान

वन अधिकार समिति
राजस्व गाँव डाबू

सविच
वन अधिकार समिति
राजस्व गाँव डाबू

FR
WA

SEE 21/07/2016

No. SML-SR (57)/2014

①

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector



Dated: 20-07-2016

9/1

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1-37-67 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, HP PWD Kumarsain District Shimla for Construction of link road Kanthalghati to Gughavi Rihadi Dassvidhar (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Rampur in Tehsil.

It is further certified that:-

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1-37-67 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to II annexure _____.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above



(Rohan Chand Thakur)
District Collector Signature
Shimla District (H.P.)
2

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 15-07-2016 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Bhuna, Kot, Ghugvi forest area(s) 1-37-67 hect. under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-


Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

OR

As informed by SDO (Civil) Rampur, no application was received from Gram Sabha claiming right in 1-37-67 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 15-07-2016


Deputy Commissioner-Cum- Chairman

Proceedings of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of Mr. Nishant Thakur, HAS, Sub-Divisional Officer (C), Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P. on 14.06.2016 at 11:00 A.M. at Rampur in which the application(s) of the applicant(s) of Kangal, Bhuna, Kot, Dhudvi and Thanu Gram Sabha claiming rights in UPF Kangal, Bhuna, Kot, Dhudhavi and Thanu forest areas measuring 01-37-67 Hect.. for the construction of Link road from Kanthalghat to Dhudhavi Riwadi Dassvidhar, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P. under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Kangal, Bhuna, Kot, Dhudhavi and Thanu Gram Sabha were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission of Distt. Level Committee.

<u>Sr. No.</u>	<u>Name of Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of Forest Right</u>
.....

Claim of following applicants were not found in order and hence reject.

<u>Sr. No.</u>	<u>Name of Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of Forest Right</u>
.....

OR

As informed by Kangal, Bhuna, Kot, Dhudhavi and Thanu Gram Sabha, no application were received claiming right in UPF Kangal, Bhuna, Kot, Dhudhavi and Thanu forest area.

Place : Rampur Bushahr.

Dated : 14.06.2016.

W. Thakur
SDO (Civil)-cum-Chairman,
Sub-Division Level Committee,
Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P.

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 15-07-2016 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur,IAS, DEPUTY COMMISSIONER , SHIMLA.





The following members of the District Level Forest Right Committee were present.


- | | |
|---|-------------|
| 1. Shri G.C.Negi, Addl. District Magistrate, Shimla | Member Secy |
| 2. Sh. H.K.Gupta, Divisional Forest Officer,Kotgarh | Member |
| 3.. Sh. M.S.Chandel,ACF Shimla-Rural | Member |
| 4. Sh. Hardev Singh Negi, ACF Rampur | Member |
| 5.Sh. Shakti Awasthi, ACF Theog | Member |
| 6. Sh.Des Raj Mahajan, Dy Ranger Rohru | Member |
| 7.Smt.Neelam Saraik, Member Zila Parishad | Member |
| 8.Smt. Anita Kimta, Member Zila Parishad | Member |

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total 41 cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.

All the cases which were placed before the committee has been approved to be processed under FCA.

The meeting ended with vote of thanks.

 (H.K. Gupta)	 (H.S. Negi)	 (D.S. Mahajan)	 (M.S. Chandel)
 (Smt. Neelam Saraik)	 (Shri G.C. Negi)	 (Smt. Anita Kimta)	 (Shakti Awasthi)


Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

